नि.ग. — 780 - III-16

## न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मंण्डल ग्वालियर म.प्र.

राजेन्द्र प्रसाद पिता शोभालाल गुप्ता ग्राम मानपुर तहसील मानपुर जिला उमरिया ......आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

इन्द्रजीत पिता रामरहसधारी गुप्ता निवासी– ग्राम मानपुर तहसील मानपुर जिला उमरिया ......अनावेदक

श्री मनोज द्विवेदी, अधि० द्वारा आज दि. 4-3-16 प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 4-3-16 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

**राजस्व पुनरीक्षण**

**पुररीक्षण विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार मानपुर जिला उमरिया के आदेश पत्रिका दिनांक 23.02. 2016 एवं 26.02.2016 जरिये प्रकरण क्रमांक 4 (अ) 70 2015–16 आदेश पत्रिका दिनांक 23.02.2016 व 26.02.2016**

**अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.राजस्व संहिता 1959**

**मान्यवर,**

पुनरीक्षण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– ग्राम मानपुर तहसील मानपुर जिला उमरिया के आ. खसरा नम्बर 721/7 रकवा 0.072

राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता

vXXXa BR H-11

# राजस्व् मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

राजेन्द्र / इन्द्रजीत

**प्रकरण कमांक निग0 780–तीन / 16** **जिला –उमरिया**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 05-03-2016 | आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, मानपुर जिला उमरिया के प्रकरण कमांक 4 (अ) 70 / 2015–16 / बी–121 में आदेश पत्रिका दिनांक 23–2–2016 से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।<br><br>प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । आवेदक द्वारा तहसीलदार मानपुर जिला उमरिया खसरा नं0 721 / 7 रकवा 0.072 के भूमि स्वामी होने के आधार पर अनावेदक के विरूद्ध धारा– 250 (1) व धारा –250 (3) के तहत आवेदन पेश किया तथा विवादस्पद आराजी पर मकान बनाने का कार्य अनावेदक द्वारा करने के कारण उसके विरूद्ध स्थगन आदेश हेतु आवेदन प्रस्तुत किया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 7–11–15 को आगामी पेशी तक स्थगन जारी किया । आवेदक अभिभाषक द्वारा तक दिया गया कि दिनांक 26–2–16 को तहसीलदार के न्यायालय में स्थगन अवधि बढाये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया । परन्तु तहसीलदार द्वारा स्थगन आवेदन पर कोई आदेश नहीं करते हुए प्रकरण तर्क हेतु नियत कर दिया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 26–2–2016 के आवलोकन से यह प्रकट होता है कि तहसीलदार ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन पर कोई | |

निर्णय नहीं किया तथा प्रकरण आवेदक अभिभाषक के तर्क करने के अनुरोध पर तर्क हेतु निश्चित किया है । इससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि तर्क किस आवेदन पंर सुने जाने हैं । अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि तहसीलदार आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क सुनकर आदेश करें । तत्पश्चात् प्रकरण का गुणदोषों के आधार पर निराकरण करें ।

सदस्य